"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2003—कार्तिक 30, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से. (1992), कलेक्टर, जिला बस्तर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993), कलेक्टर, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

विषय :— वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में संशोधन.

क्रमांक 830/982/वि/नि/चार/03.—वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में विधि विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से संबंधित वर्तमान प्रत्यायोजनों को अधिक्रमित कर संलग्न प्रपत्र अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजनों को पुनरीक्षित किया जाता है.

2. यह संशोधन आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, संयुक्त सचिव.

Financial Powers in respect of Chief Electoral Officer

S. No. (1)	Description (2)	Authority competent exercise the powers (3)	Extent of delegation (4)	Conditions (5)
1.	Powers to sanction expenditure on preparation and printing of electoral rolls and conduct of elections including counting of votes.	Collector	Full Powers	Subject to the rates or ceiling of expenditure fixed by the Govt.
2.	Powers to write-off unserviceable articles, Ballot boxes, ancilliary equipment and election material and to dispose of written off material.	Collector	Full Powers	
3.	Powers to declare forms and electoral rolls obsolete, and to write-off and dispose off such material.	Collector	Full Powers	
4.	Powers to sanction expenditure on POLL and use of vehicles by District Officers during inspection of the work of preparation and printing of electoral rolls or identity cards, polling stations and other places at the time of conduct of elections.	Chief Electoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powes Upto Rs. 3.00 lakhs. Upto Rs. 1.00 lakh.	
5.	Powers to sanction expenditure for making arrangements for safe custody of Ballot boxes EVMS etc. and after counting of votes, at places for imparting and training of polling personnel.	Collector	Full Powers	
6.	Powers to sanction expenditure on revision of electoral rolls.	Collector	Full Powers	As per rates fixed by the Govt.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Powers to purchase ballot boxes and ancilliary equipment.	Chief Electoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powers Upto Rs. 3.00 lakhs. Upto Rs. 1.00 lakh.	
8.	Powers to sanction expenditure on purchase of stationery for preparation of identity cards for voters.	Chief Electoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powers Upto Rs. 3.00 lakhs. Upto Rs. 1.00 lakh.	As per rates fixed by the Govt.
9.	Powers to sanction expenditure on arrangement of water and shadow at the polling booth.	Collector	Full Powers	As per rates fixed by the Govt.
10.	Powers to sanction expenditure on publicity relating to the revision of electoral rolls Photo Identity card and conduct of election including counting of votes.	Chief Electoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powers Upto Rs. 3.00 lakhs. Upto Rs. 1.00 lakh.	
11.	Powers to sanction expenditure on Videography to record critical events.	Chief Elecoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powers Upto Rs. 3.00 lakhs. Upto Rs. 1.00 lakh.	Subject to the guide-lines and norms prescribed by the Election Commission of India or Govt. of India.
12.	Powers to sanction expenditure on printing of forms etc. done through private presses in urgent and emergency cases.	Chief Electoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powers Upto Rs. 3.00 lakhs. Upto Rs. 1.00 lakh.	Subject to the rates fixed by the Controller printing and Stationery if they are not in position to print the matter in time. 2. NOC form govt. printing press has been obtained. 3. CEO will be empowered to fix rates or delegate his power to collectors in case of extreme urgency.
13.	Powers to sanction expenditure on purchase of essential material for smooth conduct of election and counting of votes.	Chief Electoral Officer Addl. C.E.O. Jt. C.E.O.	Full Powers Upto Rs. 3.00 Lakhs Upto Rs. 1.00 Lakh.	
14.	Powers to sanction expenditure on hiring of vehicles for transportation of observers appointed by Election Commission and Polling parties by district Election Officer.	Collector	Full Powers	Subject to the rates recommended by the committee [illegible] tuted with the representatives of [illegible] under [illegible] of CEO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Powers to sanction expenditure incurred on hosting of observers appointed by election commission.	Collector	Full Powers	Subject to the items permitted by the Election Commission of India.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ-73/215/उ. शि./38/03.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो ''एन. आई. आई. टी. विश्वविद्यालय, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''एन. आई. आई. टी. विश्वविद्यालय, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 24th October 2003

No. F-73/215/HE/38/03.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "NIIT UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "NIIT UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2003

क्रमांक एफ-73/199/2003/उशि/38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "यूनिवर्सिटी ऑफ आई. टी. एम., रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "यूनिवर्सिटी ऑफ आई. टी. एम., रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 13th November 2003

No. F-73/199/2003/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as " UNIVERSITY OF ITM, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "UNIVERSITY OF ITM, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. सी. सिन्हा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	(1) परसुरामपुर	0.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	परसुरामपुर जलाशय के बांध एवं नहर में छूटी हुई भूमि के अर्जन बाबत.
		(2) जगन्नाथपुर	0.33		
		(3) राजापुर	1.12		
		योग	1.82		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 अक्टूबर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	चोढा	4.092	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	केशकाल	बयालपुर	4.468	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव.	बयालपुर तालाब, नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 6.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	अमोरा प.ह.नं. 2	0.020	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग चांपा, संभाग-चांपा.	धाराशिव से अवरीद मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक 58/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-गोरखपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.821 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/3	0.182
40/1	0.162
38/2	0.146
38/5	0.194
35/1	0.137
योग 5	0.821

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मलहनिया जलाशय शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-आमागोहन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/1 ड/1	0.146
54/1 न	0.291
योग 2	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यालय एवं भवन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-रतनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.697 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3316/2	0.219
3317/1	0.202
3318	0.243
3319/2	0.024
3319/3	0.009
योग	0.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रियदर्शनी बस स्टैण्ड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिलासपुर

(ग) नगर/ग्राम-दोमुहानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.643 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18/1	0.219
24/2	0.045
39/4	0.202
42/2	0.049
43/5	0.024
304, 305, 306	0.024
303	0.008
302	0.004
374	0.012
373	0.004
406/5	0.069
371/1	0.571
370/3	0.036
406/2	0.012
406/4	0.012
406/6	0.012
370/2	0.069
370/4	0.134
59/2	0.028
114/2	0.032
388	0.008
391	0.020
370/1, 370/5	0.049
योग	1.643

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2003

क्रमांक 1 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-[illegible] प. ह. नं. 70

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
212	0.04
213	0.52
214	0.12
220	0.21
223	0.19
224	0.18
226/1	0.29
226/2	0.10
226/3	0.20
226/4	0.32
226/5	0.19
228	0.41
229	0.23
230	0.16
231	0.38
233	0.36
234	0.33
235	0.01
236	0.46
238	0.52
240	0.12
241/1	0.14
241/2	0.01
242	0.28
243	0.39
245	0.77
246	0.18
249	0.24
255	0.20
258	0.74
259	0.17
260	0.74
261/1	0.52
261/2	0.53
262	0.20
263	0.16
264	0.13
265	0.21
266	0.17
267	0.20
268	0.25
269	0.21
270	0.02
272	0.25
273	0.20
274	0.67
275	0.75
277/1	0.13
278	0.09
279	0.12
280	0.09
281	0.06
284	0.10
285	0.08
287	0.24
288	0.11
289	0.07
292/2	0.05
408	0.17
409	0.03
286	0.53

(1)	(2)
338	0.14
339	0.03
390	0.08
391/1	0.17
391/2	0.02
393	0.02
395	0.12
399	0.17
400	0.10
401	0.08
402	0.12
404	0.22
405	0.22
406	0.32
योग 75	17.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-प्यूरी जलाशय के बांध एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 सितम्बर 2003

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम-अत्रपारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
263	0.081
267	0.020
321	0.071
314	0.142
170	0.081
148	0.061
225	0.250
220	0.571
228	0.640
349/8	0.202
335	0.263
349/13	1.910
210	0.324
215	0.350
230	0.016
233	0.226
217	0.045
211	0.340
272	0.061
271	0.230
273	0.020
325	0.210
167	0.101
213	0.295
218	0.267
221	0.050
234	0.040
349/2	0.230
349/12	1.826
349/15	1.110
208	0.207
216	0.117
231	0.081
235	0.200
228	0.040
235	0.101
266	0.016
315	0.061
283	0.040
326	0.231
168	0.131
224	0.396
222	0.179
227	0.207

(1)	(2)
349/4	1.919
223	0.837
3491/14	1.023
349/11	0.980
212	0.015
229	0.150
232	0.012
240	0.101
236	0.440
योग 53	18.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अन्नपारा जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 सितम्बर 2003

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम-नेउरगंज
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.709 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
246	0.260
254	0.430
252	0.305
255	1.260
253	0.400
268	1.200
271	0.720
277	0.400
266	1.020
188	0.060
134	0.101
105	0.032
247	0.490
264	0.710
276	0.300
263	0.440
260	1.100
265	0.700
273	0.131
292	2.020
267	0.650
207	0.032
108	0.181
178	1.380
248	1.020
250	0.405
278	0.600
241	0.960
262	0.680
263	0.230
274	2.020
294	0.600
300	0.820
183	0.060
182	0.032
योग 35	21.709

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अन्नपारा जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अक्टूबर 2003

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नुनेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.090 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
673	0.032
618/2	0.049
706/20	0.024
702/1	0.089
613	0.008
651/56	0.009
648/3	0.140
651/15	0.085
667	0.024
706/22	0.024
654	0.028
611/1	0.049
651/57	0.009
648/11	0.024
623/2	0.040
704	0.024
681/3	0.028
706/14	0.024
649/6	0.032
681/4	0.016
705	0.032
702/2	0.089
706/21	0.016
648/6	0.049
610	0.024
651/1	0.113
706/17	0.040
668	0.024
706/23	0.024
614	0.012
651/2	0.009
648/9	0.113
योग	1.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-करेंया वितरक नहर के बरगई माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अक्टूबर 2003

रा. प्र. क्र./16/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा
- (ग) नगर/ग्राम-नवडीहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.500 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61	0.101
88	0.101
102/7	0.369
71	0.081

(1)	(2)
102/2	0.052
118	0.163
78/1	0.096
102/3	0.062
119/1	0.077
78/2	0.043
102/4	0.096
119/2	0.067
87	0.077
102/5	0.115
योग	1.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गगोली उद्वहन योजना के नवडीहा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, सरगुजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक 8458/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-छुईखदान
  (ग) नगर/ग्राम-कालेगोंदी, प. ह. नं. 14
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.49 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
229/2	0.40
229/3	0.13
230/3	0.42
233/1	0.47
238	0.04
239	0.06
240	0.10
241	0.57
242/1	0.20
243	0.10
योग 10	2.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरही जलाशय के अंतर्गत कालेगोंदी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक 8459/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-राजनांदगांव
  (ख) तहसील-छुईखदान
  (ग) नगर/ग्राम-धोधा, प. ह. नं. 14
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
62	0.17
72/1	0.22

(1)	(2)
72/2	0.01
72/3	0.34
72/4	0.27
72/6	0.20
72/7	0.02
73/1	0.01
73/2	0.26
73/3	0.06
73/4	0.01
75	0.08
76/4	0.35
76/6	0.26
77	0.23
78/3	0.02
393	0.27
394	0.05
396/1	0.22
396/2	0.06
397	0.20
402	0.15
403	0.20
404	0.07
405	0.27
406	0.08
407	0.18
408	0.32
409/1	0.08
410/1	0.05
410/2	0.03
446/2	0.17
448/2	0.20
448/3	0.09
448/5	0.03
448/6	0.08
448/7	0.20
461/1	0.45
योग 38	5.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरही जलाशय के अंतर्गत कालेगोंदी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक 8460/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बागुर, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
435/1	0.21
434	0.15
योग 2	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरही जलाशय के अंतर्गत कालेगोंदी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक 8461/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-मरद कठेरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.93 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
224/1	0.11
224/2	0.18
225	0.12
230/7	0.36
230/8	0.45
232	0.04
233	0.20
239/1	0.20
239/2	0.27
योग 9	1.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरही जलाशय के अंतर्गत जगमड़वा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.